O/o CE (EITC)
Receipt No. 7632
Date 02 JAN 2020
DGM (IT) / SE (O)
EE.....Web.........
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 16/2019 दिनांक 26.11.2019

श्री पियूष कुमार — अपीलार्थी
हाउस नबंर– 197 परषुराम वार्ड
पांडातराई, जिला– कबीरधाम (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती — प्रतिअपीलार्थी
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया,
रायपुर

–:: आदेश ::–
(दिनांक 28/12/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री पियूष कुमार की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 16/2019 दिनांक 26.11.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री पियूष कुमार ने आवेदन दिनांक 17.10.2019 के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से कनिष्ठ यंत्री भर्ती के संदर्भ में निम्न जानकारी उपलब्ध कराये जाने का लेख किया था कि :–

''आदेश क्रमांक NO-02-11-1/Estt./361 दिनांक 02.02.2019 को प्रकाशित किया गया था जो अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश को निरस्त करने बाबत् था। प्रस्तुत आदेश में अनारक्षित वर्ग के 07 अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया था। वही विभाग द्वारा दिनांक 08.03.2019 को जारी आदेश क्रमांक NO-02-11-1/Estt./756 जो नियुक्ति आदेश निरस्त होने के पश्चात रिक्त पदों पर नियुक्ति का आदेश था। उक्त आदेश में 03 अनारक्षित वर्ग एवं 05 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। अतएव 07 अनारक्षित वर्ग के पदों को निरस्त करने पर उन पदो के विरूद्ध 03 अनारक्षित वर्ग एवं 05 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति जिस माध्यम से दी गई यदि विभाग द्वारा उस संदर्भ में कोई अन्य आदेश या सर्कुलर जारी किया गया हो तो उसकी जानकारी प्रदान करें।''

जिसके संदर्भ में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को 01 पृष्ठ में जानकारी उपलब्ध करायी गई है जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

(3) उक्त दर्ज अपील को स्वीकार कर सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./16/2019/31 दिनांक 02.12.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 24.12.2019 को

सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री पियूष को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त सुनवाई में अपीलार्थी, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के स्थान पर सहायक जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग की ओर से प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी, रायपुर उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संदर्भ में कोई आदेश या सर्कुलर जारी नही किया गया है, अपितु अनुपस्थित/त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्तियों की पूर्ति हेतु (डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा) नियमानुसार 03 अनारक्षित एवं 05 अ.पि.व. वर्ग के अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त वस्तुस्थिति से आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1906 दिनांक 08.11.2019 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है।

(5) अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, उभय पक्षो के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील तर्क कि उपलब्ध करायी गई जानकारी से वह असंतुष्ट है। अतएव उन्हे 07 अनारक्षित वर्ग के पदों को निरस्त करने पर 03 अनारक्षित वर्ग एवं 05 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति किस माध्यम से दी गई है। यदि विभाग द्वारा प्रस्तुत संदर्भ में कोई अन्य आदेश या सर्कुलर जारी किया गया है तो उसकी जानकारी प्रदान करें।

(iii) प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर कि कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) पदों पर चयनित हुए अभ्यथियों के पद ग्रहण तद्पश्चात् अनुपस्थित/त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्तियों की पूर्ति हेतु डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा पेनल व नियम के अनुसार ही 03 अनारक्षित एवं 05 अ.पि.व. वर्ग के अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। अतएव उक्त संदर्भ में कोई आदेश या सर्कुलर जारी नही किया गया है। जैसा कि उक्त दोनों आदेश छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के (मानव संसाधन) विभाग द्वारा जारी किये गये हैं, अतएव आवेदक यदि चाहें तो संबंधित पावर कंपनी यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के (मानव संसाधन) विभाग में पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 04/–टीप के दृष्टिगत जो कार्यवाही प्रकरण में की गई है वह उचित व नियमानुसार सही है, तथा कंडिका 5(iii)/– टीप में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं, जो तर्कसंगत है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा कंडिका 2/–टीप में कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) पदों पर हुई भर्ती से संबंधित जानकारी चाही गई है। उक्त पदो के नियुक्ति आदेश जारी होने के तद्पश्चात् चयनित अभ्यार्थियों के पदभार ग्रहण तदउपरांत उक्त पदों पर अनुपस्थित/त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्तियों की पूर्ति हेतु (डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा) पेनल व नियम के

अनुसार ही 03 अनारक्षित एवं 05 अ.पि.व. वर्ग के अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। अतएव प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य है। जैसा कि उक्त दोनों आदेश छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के (मानव संसाधन) विभाग द्वारा जारी किये गये हैं, अतएव आवेदक यदि चाहें तो संबंधित पावर कंपनी यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के (मानव संसाधन) विभाग में पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः प्रकरण में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता परिलक्षित नही होती है।

तद्नुसार उल्लेखित कंडिका के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 16/2019 दिनांक 26.11.2019) एतद् द्वारा अस्वीकार कर, नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –16/2019/38 रायपुर, दिनांक 28/12/2019

प्रतिलिपिः–

1 जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3 श्री पियूष कुमार, हाउस नबंर–197 परषुराम वार्ड, पांडातराई जिला–कबीरधाम (छ.ग.) पिन–491559 को सूचनार्थ प्रेषित।
4 मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700